दिनांक : .०१.२०२०

प्रति,

मा. केंद्रीय गृहमंत्री,

भारत सरकार, नई देहली.

विषय : नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में आंदोलन कर
देश की संपत्ति की हानि करनेवाले धर्मांधों पर कार्यवाही करने के संदर्भ में....

महोदय,

केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान के साथ ही अन्य देशों से भारत में आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्मीय शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देनेवाला 'नागरिकता संशोधन कानून' पारित किया । सरकार के इस निर्णय के कारण विदेशों के अल्पसंख्यांकों पर हुए अत्याचार के कारण निर्वासित होकर भारत में आए पीडित अल्पसंख्यांकों को न्याय मिलेगा । उन्हें भारत की नागरिकता मिलने में आनेवाली बाधाएं दूर होंगी । लोकनियुक्त सरकार द्वारा लोकसभा में और राज्यसभा में बहुमत से पारित किया गया यह कानून देशभर के कुछ धर्मांध और कम्युनिस्ट संगठन, तथा देशविघातक कार्यवाहियां करनेवालों को नहीं भाया है । इसलिए ही उन्होंने देहली, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिंसक आंदोलन आरंभ किए हैं । इसमें सार्वजनिक मालमत्ता की बडी मात्रा में हानि की जा रही है और पुलिस पर भी हमला किया जा रहा है । इसमें कुछ पुलिस गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनपर अतीदक्षता विभाग में उपचार चल रहे हैं । समाजद्रोही आंदोलकों द्वारा किए जा रहे हिंसक आंदोलन और उससे हो रही हानि निषेधार्ह है ।

*** इस संदर्भ में हम ध्यान में लाना चाहते हैं कि...**

१. देहली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा ३ दिन के आंदोलन के समय १५ दिसंबर को हिंसाचार किया गया । इसमें कुछ बसें और पुलिस के वाहन जलाए गए । इसमें ६ पुलिस, २ अग्निशमन दल के कर्मचारी और अन्य ऐसे लगभग १०० लोग घायल हुए । इसमें विश्वविद्यालय के परिसर से पुलिस पर पथराव किया गया ।

२. लखनऊ में नदवा महाविद्यालय में १६ दिसंबर को इस कानून का विरोध करते हुए समाजकंटक विद्यार्थियों ने पुलिस पर पत्थर, पानी की खाली की बोतलें और चप्पलें फेंकी ।

३. आम आदमी दल का देहली का विधायक अमानतुल्लाह खान ने कानून के विरोध में भडकाऊ विधान किए । इसलिए भी कहीं-कहीं हिंसा की घटनाएं घटी ।

४. इस कानून के विरोध में कुछ लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की । उसपर मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे ने हिंसाचार करनेवालों को जो सुनाया, वह अतिशय महत्त्वपूर्ण है । मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह कानून और सुव्यवस्था का प्रश्न है । सार्वजनिक संपत्ति की कोई भी हानि नहीं कर सकता । आंदोलन के समय विद्यार्थी कानून हाथ में नहीं ले सकते । हम शांति से विरोध करनेवालों के विरोध में नहीं हैं । तुम विद्यार्थी हो; इसलिए तुम्हें हिंसाचार करने का अधिकार नहीं मिलता । हम तुम्हारा अवश्य सुनेंगे, परंतु प्रथम हिंसाचार रोकें । हिंसाचार रुका नहीं और सरकारी संपत्ति की हानि होती रही, तो सुनवाई नहीं होगी ।

५. इस पार्श्वभूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की एक प्रचारसभा में कहा कि देश में जहां भी हिंसाचार हो रहा है, वह राजनीति से प्रेरित और पूर्वनियोजित ही है । हिंसाचार कौन कर रहा है, यह कपडों से ही ज्ञात होता है । इससे ही हिंसाचार कौन करवा रहा है और कौन देश की अखंडता भेदना चाह रहा है, यह स्पष्ट है ।

६. अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुए आंदोलन के समय आंदोलक समाजकंटकों ने 'हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, एएमयू की धरती पर', 'सावरकर की कब्र खुदेगी, एएमयू की धरती पर', 'बीजेपी की कब्र खुदेगी, एएमयू की धरती पर' इत्यादि नारे लगाए । इन विद्यार्थियों को नागरिकता कानून से कोई लेना-देना नहीं है, इससे उनका हिंदुत्व और स्वा. सावरकर के प्रति द्वेष दिखाई देता है । इससे इन आंदोलकों का खरा चेहरा सामने आया है ।

७. केंद्रीय गृहमंत्रालय ने इस कानून के संदर्भ में विस्तृत विवेचन कर जनता के प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं । 'इस कानून का किसी भी भारतीय मुसलमानों सहित किसी भी भारतीय नागरिक पर कोई परिणाम नहीं होगा । संविधान द्वारा दिए गए मूलभूत अधिकारों का भारतीय नागरिक मुक्तता से उपभोग ले सकेंगे । इस कानून के साथ ही कोई भी कानून उनका यह अधिकार रद्द नहीं कर सकता', ऐसा इस विवेचन में बताया गया है । ऐसा होते हुए भी कानून का विरोध करनेवालों से कानून के संदर्भ में जानबूझकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है । अनेक स्थानों पर हुए आंदोलनों में अनेकों को 'हम आंदोलन में क्यों सम्मिलित हुए थे', इस संदर्भ में कुछ भी ज्ञात नहीं था । वृत्तवाहिनियों ने कुछ लोगों को उनके मत पूछने पर कुछ लोग 'दूसरे किसी को पूछें', ऐसा कहते । गोवा में कुछ 'टैक्सी' चालकों ने यह कानून 'कैब' को समर्थन देने के कारण उसका हम विरोध कर रहे हैं, ऐसा कहा ।

८. देहली में हुए हिंसक आंदोलन में जमियानगर, सीलमपुर और दरियागंज परिसर में गाडियां जलानेवाले लोगों को ढूंढने के लिए 'फेस रिकग्नीशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है । गाझियाबाद में ३६०० लोगों के विरोध में अभियोग प्रविष्ट किए गए हैं । इसी प्रकार से उत्तरप्रदेश में भी योगी सरकार ने जिन समाजकंटकों ने घरों पर पत्थर एकत्रित किए, उनका 'ड्रोन' का उपयोग कर चित्रीकरण किया और उसके छायाचित्र सार्वजनिक किए । इन्हीं बातों का सर्वत्र उपयोग कर दंगेखोरों के चित्र सार्वजनिक करना, तथा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान की सहायता लेना जैसी बातें सरकार ने करना आवश्यक है ।

९. देहली, बंगाल, असम और उत्तर भारत में कानून के विरोध में जो हिंसाचार किया गया है, उसमें कुछ बांगलादेशियों के सम्मिलित होने की बात ध्यान में आई है, ऐसा पुलिस ने बताया । इससे बांगलादेशी धर्मांध घुसपैठिए खुला-खुला देशद्रोह कर रहे हैं । इसलिए केंद्र सरकार ने ऐसे बांगलादेशी घुसपैठियों को ढूंढना आवश्यक है ।

जो समाजकंटक इस कानून का विरोध कर हिंसाचार कर रहे हैं, वे संविधानद्रोही और लोकतंत्र के विरोधक ही हैं । ऐसों पर सरकार ने कठोर कार्यवाही करना आवश्यक है । इससे एक बात स्पष्ट होती है कि समाजकंटकों द्वारा किया गया हिंसाचार सुनियोजित था । इसके पीछे देशविरोधी आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र होने की संभावना नकार नहीं सकते । **इसलिए हम निम्न मांगें कर रहे हैं.....**

अ. विश्वविद्यालय के परिसर में इतने बडे प्रमाण में पथराव करने के लिए लगनेवाले पत्थर और आगजनी करने के लिए लगनेवाला इंधन कहां से आया ?, इस षडयंत्र के पीछे कौन है ?, इसकी गहन पूछताछ कर दोषी दिखाई देनेपर तत्काल कठोर कार्यवाही करें ।

आ. इस हिंसाचार के पीछे सिमी अथवा पोप्युलर फ्रंट ओफ इंडिया, तथा जिहादी आतंकवादी संगठन में से किसका हाथ है क्या, इसकी जांच करें ।

३. जिन समाजकंटकों ने पुलिस पर पथराव किया, आगजनी की, कानून हाथ में लेते हुए सार्वजनिक संपत्ति की हानि की, उनपर तत्काल कठोर कार्यवाही करते हुए उनसे हानि की क्षतिपूर्ति वसूल कर सकें ।

४. जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ, देहली विश्वविद्यालय इत्यादि विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी इस हिंसाचार में सम्मिलित हुए, उन्हें तत्काल विश्वविद्यालय से निकाल दें ।

५. विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार के राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर आंदोलन करने के लिए प्रतिबंध लगाएं, तो भी ऐसा हो रहा हो तो ऐसे विश्वविद्यालयों पर भी प्रतिबंध लगाकर विश्वविद्यालयों पर धाक जमाएं ।

६. अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदुत्व के विरोध में विषढले नारे लगाकर समाज में धार्मिक अनबन उत्पन्न करनेवाले समाजकंटकों पर कठोर कार्यवाही करें ।

७. देश के बांगलादेशी धर्मांध घुसपैठियों की जानकारी एकत्रित कर उन्हें तत्काल उनके देश भेज दें ।

आपका विश्वसनीय,

स

प

क